(02)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	398/2020 सुरेन्द्र सिंह / मन्दिर मूर्ति गोपीनाथजी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/10/20	कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करे। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवम् पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम् से अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चाराजोही नहीं कर उक्त अपीलाधीन अन्तरिम आदेश को इस अपील के माध्यम् से सीधे चुनौती दी गयी है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है एवम् चूँकी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रकरण में अभी मौजूद है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आगामी पेशी दिनांक 22/10/2020 नियत है। ऐसी परिस्थिति में इस अपील के माध्यम् से कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उनके समक्ष	225

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम का हुक्म की तारीख में जारी हुए
	प्रकरण में नियत दिनांक 22/10/2020 को प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर अपीलार्थी की आवश्यक रूप से सुनवाई कर विधिसम्मत आदेश पारित करें। इस हद तक अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को यह निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22/10/2020 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	